उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-6/2017/आडिट-1-636/दस-2017-315(2)/15
लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2017

## विज्ञप्ति

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अधीन चयन वर्ष 2015-16 में 'उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी' पद पर चयन हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27-11-2015 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में पात्रता सूची के क्रमांक-3 पर अवस्थित श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय के विरूद्ध दो अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण श्री पाण्डेय के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति 'बन्द लिफाफे' में रखी गयी।

2- उपर्युक्तानुसार अंकित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियों में से संस्थित एक अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2016 द्वारा श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय से रु0 3,47,548/- की वसूली का दण्डादेश निर्गत करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है।

जबकि दूसरी अनुशासनिक कार्यवाही में श्री पाण्डेय के विरुद्ध शासन के आदेश दिनांक 16.03.2011 के द्वारा परिनिन्दा के साथ 02 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री पाण्डेय द्वारा मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-767/2011 में पारित आदेश के द्वारा मा0 अधिकरण ने आदेश दिनांक 20.11.2014 के द्वारा उक्त जांच में प्रक्रियात्मक त्रुटि पाते हुये दण्डादेश दिनांक 16.03.2011 को निरस्त कर पुनः जांच कराये जाने के आदेश दिये।

उक्त आदेश के अनुपालन में दण्डादेश दिनांक 16.03.2011 को निरस्त करके पुनः जांच का आदेश दिनांक 23.06.2015 निर्गत किया गया। उक्त जांच के विरुद्ध श्री पाण्डेय द्वारा मा0 अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या-833/2016 योजित की गयी जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2016 पारित किये गये। उक्त आदेश के संगत अंश निम्नवत् हैः-

> **".................No objection against interim relief prayer and C.A/W.S has been filed by the opp.parties inspite of several opportunities having been afforded. Hence, in the end of justice, the impugned order dated 23-6-2015 will not be considered against the petitioner while considering the case of the petitioner for promotion to the next higher post."**

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- 'उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी' से 'संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी' के पद पर पदोन्नति हेतु अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 02 जून, 2017 को आहूत की गयी। उक्त बैठक में अन्य प्रोन्नतियों के साथ-साथ मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 10-08-2016 के क्रम में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय के पदोन्नति के सम्बन्ध में भी चयन समिति द्वारा विचार किया गया। मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 10-08-2016 के दृष्टिगत चयन समिति द्वारा श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को संज्ञान में न लेते हुए उक्त बन्द लिफाफे को खोले जाने का निर्णय लिया गया एवं तदनुसार चयन समिति के समक्ष श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय का 'बन्द लिफाफा' खोला गया। तद्क्रम में चयन समिति द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 10-08-2016 एवं बन्द लिफाफे में चयन समिति की संस्तुति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय को 'उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी' के पद पर पदोन्नति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4- अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत श्री राज्यपाल श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, गाजियाबाद को 'उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी' के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नत किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

5- सम्बन्धित अधिकारी को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही 'उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी' के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

6- उक्त सम्बन्धित अधिकारी को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर 01 वर्ष को विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

7- अन्यत्र तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक् से यथासमय निर्गत किया जायेगा।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-6/2017/आडिट-1-636(1)/दस-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।

5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।